माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवम् सदस्यगण,

सन् २०१६ वर्ष के राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ।

२. मेरी सरकार, जनता की विधिसहमत माँगो की पूर्ति करने तथा उनका जीवनयापन का स्तर बढाने के लिये वचनबद्ध है। इस प्रयोजन के लिये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ऐसे सभी क्षेत्रों में उनके कल्याण की सुनिश्चिति के लिये, कई लोकाभिमुख निर्णय लिये गये है ।

३. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, मुंबई के अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रीय स्मारक के संनिर्माण के लिये सभी अनुमतियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रयोजन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति पहले से ही की गई है। सन् २०१९ के पहले इसका कार्य पूरा करने का सरकार का इरादा है।

४. मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि, ' रायगड महोत्सव ' को बड़े पैमाने पर प्रतिसाद मिला है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सांस्कृतिक विरासत दिखाने का हमारा उद्देश्य बड़े पैमाने पर सफल हुआ है।

५. २ अक्तूबर, २०१९ को महात्मा गांधी के आगामी १५० वें जन्मदिवस को ध्यान में रखकर, सरकार ने, वर्धा-सेवाग्राम-पवनार इस क्षेत्र का विकास करने की योजना तैयार की है। जिसमें मुलभूत सुविधाएँ एवं नागरी सुखसुविधाओं का विकास शामिल होगा।

६. मेरी सरकार ने, भारतरत्न डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के १२५ वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सन् २०१५-१६ यह वर्ष " समता तथा सामाजिक न्याय वर्ष " के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर केन्द्र तथा राज्य सरकार ने, संस्मारक कार्यक्रमों के सिलसिले को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार ने, डा. अम्बेडकर के एक समतावादी समाज विकसित करने के सहयोगों की जानकारी नई पीढ़ी को हो, इसलिए, उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण कडियों से संबंधित ५ स्थानों

का “ पंचतीर्थ ” के रुप में विकास करने का निर्णय लिया है। राज्य में इसमें से दो स्थान स्थित है अर्थात् रत्नागिरी जिले के आंबवडे गाँव जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी और इंदू मिल, दादर, मुंबई को शामिल किया हैं।

७. राज्य सरकार ने, पिछड़े वर्गों की लडकियों के लिये ५० नये छात्रालयों का संनिर्माण और पूना, नागपुर और मुंबई में कामकाजी महिलाओं के लिये तीन आवासगृहों के संनिर्माण करने का निर्णय लिया है। सरकार ने, “ डा. बाबासाहब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान ” स्थापन करने और डा. बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था, पूना के लिये, विस्तार भवन का संनिर्माण करने का भी निर्णय लिया है। यह सभी कार्यक्रम अगले दो वर्षों में पूरे किये जायेंगे। सरकार ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को बढावा देने के लिये विशेष पैकेज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

८. मेरी सरकार ने भारतरत्न डा. अम्बेडकर के असाधारण कार्य की जानकारी को आंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के प्रयास किये है। इसलिए अगस्त २०१५ में उनकी प्रतिमा जपान के कोयासन में बनायी गयी हैं। सन् १९२१-२२ के दौरान लंदन में शिक्षा के लिये जिस घर में वे छात्र के तौर पर रह रहे थे, उस घर को मेरी सरकार ने प्राप्त किया है और उसका कब्जा ले लिया है। केन्द्र सरकार ने, इस घर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है।

९. सरकार ने, पहले से ही, स्वर्गीय श्री बालासाहब ठाकरे का स्मारक दादर में संनिर्मित करने का निर्णय लिया है और उस संदर्भ में आगे की प्रगति की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है। दिसम्बर २०१५ में भूतपूर्व उपमुख्यमंत्री और केंद्रिय मंत्री स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे का औरंगाबाद में स्मारक बनाने के लिये सरकार ने भूमि आबंटित हैं ।

१०. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर गंभीर और संवेदनशील हैं । १२ सितंबर, २०१४ को न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के भूतपूर्व–मुख्य न्यायाधीश श्री. मनमोहन सरिन को साक्ष्य अभिलेख के लिए, न्यायालय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया हैं। सरकार ने, कर्नाटक राज्य के विवादित क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का प्रभावी रूप से निपटान करने के लिए राज्य समन्वयक के रुप में लोक कार्य और सहकारिता मंत्री को नियुक्ति की है।

११. राज्य पिछले चार सालों से निरंतर सूखे का सामना कर रहा हैं और चालू खरीप मौसम में लगभग १५,७५० ग्राम सूखे से प्रभावित हुये हैं। केंद्र सरकार ने ३,०४९ करोड़ रुपयों की राहत सहायता अनुमोदित की हैं जो महाराष्ट्र को दी गई सहायता सर्वाधिक केन्द्रीय सहायता हैं। मेरी सरकार ने अब तक २,५३६ करोड़ रुपये सूखा प्रभावित किसानों को वितरित किये हैं।

१२. मेरी सरकार ने, सन् २०१५ के दौरान बे-मौसम वर्षा और ओला-वृष्टि के कारण जो फसल हानि, घरों की टूट-फूट से प्रभावित है, उन लोगों को राहत सहायता बढाने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार ने, राज्य विपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के तहत् सहायता संबंधी मानकों को पुनरीक्षित किया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने, १ अप्रैल २०१५ से बढ़नेवाले वित्तीय सहायता मानकों को स्वीकृत किया है।

१३. मेरी सरकार ने, नवंबर–दिसंबर २०१४ तथा फरवरी-मार्च २०१५ के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिनके फँसलों की हानि हुई है उन किसानों द्वारा लिये गये फसल ऋण के लाभ पर ३ महीनों का ब्याज छोड देने का निर्णय लिया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होनेवाले पुनरावृति फसल नुकसान को ध्यान में लेते हुये, मेरी सरकार ने, फसल ऋणों की पुनर्रचना करने का निर्णय लिया है और ऋणों पर का ब्याज छोडने से ऋणों की वसूली पर रोक लगाई गई है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरुप, बँकों ने अनुमानित ३,५०० करोड़ रुपयों के फसल ऋणों की मध्यम अवधि ऋणों में पुनर्रचना की है, जिसका लाभ लगभग ५.५ लाख किसानों को हुआ है। शेष फसल ऋणों की पुनर्रचना होने से, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपूर और नासिक के जिला केंद्रीय सहकारी बैकों को, जिन किसानों के ऋणों पुनर्रचित किया गया है, उन लगभग १,१६,००० किसानों को ४०५ करोड़ रुपयों के नये फसल ऋण विस्तृत करना संभव हुआ हैं।

१४. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की मदद करने के लिये, चालू विद्युत बिलों में ३३ प्रतिशत राशि छोड़ दी गई है। ‘कृषि संजीवनी योजना’ की तर्ज पर ‘पानी संजीवनी योजना’ शुरू की गई है जिससे, स्थानिय निकायों के लगभग ५०,००० पेय जल योजनाओं को लाभ होगा।

१५. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिये महावितरण को ठोस आर्थिक सहायता दी जानेवाली है।

१६. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती का नवीकरण करना, यह राज्य के सामने एक बडी चुनौती है। वर्षा जल की एक-एक बूँद जमा करना तथा संरक्षित करना और उसका खेती के लिये उचित उपयोग करना, समय की आवश्यकता है।

१७. दुर्भिक्षता प्रभावित ग्रामों में की प्रतिकूल स्थिति हेतु स्थायी उपाय करने के उद्देश्य से, दिसंबर २०१४ में "जलयुक्त शिवार अभियान" शुरू कर लगभग ६,९०,००० सहस्त्र घन मीटर (टीसीएम) इतनी जल भण्डारकरण की क्षमता निर्माण करके लगभग १,३३,००० से अधिक जलसंचय सृजन कार्य पूरे किये गये हैं । सन् २०१६-२०१७ में इस प्रयोजन के लिये ५,१८२ ग्रामों का चयन किया गया है।

१८. राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों के जलसंरक्षण कार्यों को गति देने के लिये महाराष्ट्र राज्य जलसंरक्षण निगम को २०२५ तक शेयर पूँजी के रूप में १०,००० करोड़ रुपयों का अनुदान दिया जायेगा।

१९. मेरी सरकार ने, ३८५ करोड़ रुपयों के राज्य शेयर से लगभग ९०० करोड़ रुपयों की विश्व बैंक सहायता से "जलस्वराज कार्यक्रम-दो" शुरू किया है ।

२०. विदर्भ और मराठवाडा में १,००० करोड़ रुपयो की सहायता से कृषि पंपों के उर्जीकरण के लिये एक विशेष मुहीम शुरू की गई है ।

२१. 'अटल सौर कृषि पंप योजना' के अधीन सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों को लगभग १०,००० सौर कृषि पंप दिये गये हैं । किसानों को पंप की लागत ५ प्रतिशत जिसमें उन्हें और कोई रखरखाव प्रभार आवर्ती बिजली बिल अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

२२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान के अधीन अगले ३ वर्षों में एक लाख कूआंओं का निर्माण करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है । सन् २०१५-१६ में ३१,००० कूओं का संनिर्माण कार्य पूरा हुआ है ।

२३. मेरी सरकार ने, "मागेल त्याला शेततळे स्कीम" घोषित की है जिससे, निरंतर खेती को बढ़ावा मिलेगा । प्रथम चरण में ५२,००० तालाबों का काम हाथ में लिया जायेगा।

२४. लगभग ३०० वर्ष पहले भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली तथा नागपूर इन जिलो में लगभग ६८०० मालगुजारी तालाब लगभग एक लाख हेक्टर्स सिंचाई क्षमता में संनिर्मित किये गये थे और विद्यमानतः इन तालाबों की मरम्मत करने की जरूरत है । आजतक विभिन्न योजनाओं के तहत् १,४०० तालाबों की मरम्मत की गई है और राज्य सरकार का इरादा अगले वित्तिय वर्ष में अधिक मरम्मत के कार्य हाथ में लेने का है।

२५. केंद्र सरकार के राष्ट्रीय चक्रवात जोखीम शमन परियोजना, चरण-२ के अधीन महाराष्ट्र के तटीय जिलों में इस परियोजना को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया गया है। इस परियोजना का कुल व्यय ३९८ करोड रुपये है ।

२६. मेरी सरकार ने, नाशक जीव, रोग, तथा प्रकृति की लहर के कारण फसल की हानि की जोखिम कम करने के लिये "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अधीन 'संरक्षित खेती' परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ।

२७. मेरी सरकार ने, सुनिश्चित फसल उपज के लिये समय से सुरक्षित सिंचाई का उपबंध करने के लिये वर्षा जल जमा करने के लिये` 'सामुदायिक टँक' का संनिर्माण करने का निर्णय लिया है ।

२८. सरकार ने अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्थायी कृषि अभियान के अधीन "परम्परागत कृषि विकास योजना (सेन्द्रिय कृषि)" सन् २०१५-१६ से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित करने का सुनिश्चय किया है ।

२९. जमा किये गये प्याज फसल की आयु बढाने के लिये, कम खर्चे की भण्डारकरण संरचना बनाने के लिये वर्ष के दौरान एक परियोजना अनुमोदित की गई है । यह संरचनाएँ, आपूर्ति श्रृँखला के सभी के लिये, लाभों के साथ प्याज बाजार को स्थायी करने में लंबे समय तक सहायता करेगी।

३०. सरकार ने किसानों और उनके परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हुये ने गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना प्रवर्तित की है, जिसमें राज्य के सभी १.३७ करोड किसानों की कुल किश्त का सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। मृत किसान के रिश्तेदार को हरजाने के रूप में २ लाख रुपये मिलेंगे तथा एक अंग के स्थायी नुकसान के मामले में किसान को एक लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति मिलेगी ।

३१. किसानों को लगभग १५ लाख मृदा स्वास्थ्य पत्र ५ दिसंबर, २०१५ को, जो 'विश्‍व मृदा दिवस' के रूप में मनाया जाता है, बाँटे गये है। कृषि को जीवित रखने के लिये आवश्यक मृदा ऊपजाऊपन बनाये रखने के लिये, इसकी सहायता होगी ।

३२. किसानों को उनकी फसलो को बेहतर तथा सुनिश्‍चित आय प्राप्ति के लिये समूहों में उन्हें संगठित तथा बाजारों से अनुबद्ध किया जाता है। चालू वर्ष में एकात्मिक कृषि विकास (पीपीपी-आयएडी) के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी के अधीन २१ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे करीबन २ लाख किसानों को, जो प्रायः एक लाख मेट्रीक टन तक उनकी उपज सीधे कृषि प्रक्रियाओं युनिटों और बडे व्यापारियों को बेचने में समर्थ होकर उनको लाभ हो रहा है ।

३३. कृषि प्रक्रिया युनिटों को खडा करने के लिये प्रत्येक राजस्व प्रभागों में, ५ करोड रुपयों की एक पुनःमरम्मत परियोजना लाने का निर्णय लिया गया है। अगले पाँच वर्षों में, ऐसी ३५ परियोजनाएँ पूरी की जायेगी ।

३४. मेरी सरकार ने, कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रक्रिया, विधि, वाणिज्य तथा आर्थिक जैसे क्षेत्रों से २ से ४ विशेषज्ञों के नामनिर्देशिती द्वारा कृषि उपज विपणन समितियों के अभिशासन को व्यावसायिक बनाने का निर्णय लिया है ।

३५. अनुवर्ती मौसम से विकेंद्रित प्रापण योजना कार्यान्वित की जायेगी, जो भण्डारकरण और परिवहन व्यय कम करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में सहायता करेगी ।

३६. ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, **नाबार्ड** के ऋण के साथ, १६,००० मेट्रीक टन से अधिक द्वारा बढाया गया है

तथा संरचना के विभिन्न स्तरों के अधीन, २,१२,००० मेट्रीक टन क्षमता के साथ १२८ गोदाम बढ़ाये गये है ।

३७. मेरी सरकार ने, विदर्भ और मराठवाडा के १४ कृषि विपदग्रस्त जिलों में विभिन्न नई उपाययोजनाओं का प्रारंभ किया है । इन जिलों में ६८ लाख से भी अधिक किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ के अधीन लाभान्वित हुए है और उसीके लिए प्रतिमाह लगभग ८६ करोड रुपये खर्च उपगत हुआ है । असुरक्षित किसानों को उनकी चिकित्सा करने और अन्य आकस्मित जरूरतों को पूरा करने हेतु उनकी पहचान और सहायता करने हेतु " बलीराजा चेतना अभियान " यह पायलट परियोजना, यवतमाल एवं उस्मानाबाद इन जिलों में कार्यान्वित की जा रही है । कृषि की अधिक उपज के लिये खेती प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के क्रम में, इन दो जिलों में " स्वर्गीय मोतीरामजी लहाने कृषि समृद्धि प्रकल्प " मंजूर किया गया है । उसके अधीन आगे के ३ वर्षों में विभिन्न योजनांओं के ज़रिए १,२०० करोड़ रुपये उपलब्ध किये जायेंगे । किसानों को परामर्श करने के लिए " प्रेरणा प्रकल्प " एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है । किसानों की बिमारी के कारण अधोगतिवाली आर्थिक स्थिति पर उपाय योजना के रूप में ' राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ' की परिधि बढाई गई है और इस योजना के अधीन के दावों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है । कृषि विपदग्रस्त जिलो में मृत किसानों की विधवाओं के लिए, " हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बालासाहेब ठाकरे स्वावलंबन निराधार योजना " शुरू की गई है, जिसमें उन्हें ऑटो रिक्शा परमिट के आबंटन द्वारा उनके जीवनमान को सहायता दी जा रही है ।

३८. मेरी सरकार ने, जनता का संरक्षण और अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त उपाय शुरू किये है । इसके लिए मेरी सरकार ने शीघ्रता से पुलिस में श्रेणीकरण प्रौद्योगिकी आगे बढा दी है तथा भारत सरकार की अपराध एवं अपराधी शोधन जाल एवं प्रणाली परियोजना अन्य राज्यों से आगे जाकर सफलतापूर्वक पूरी की है । कई रूकावटों के बावजूद भी पूना की सीसीटीव्ही परियोजना पूरी की गई है और सरकार अब मुंबई, थाना, औरंगाबाद एवं सोलापूर में सीसीटीव्ही परियोजना समय पर पूरी करने पर जोर दे रही है ।

३९. महिला एवं बच्चों की सुरक्षा यह एक महत्वपूर्ण मद्दा है । मुंबई में ९० से भी अधिक महिला पुलिस गश्त लगानेवाले दल कार्यरत है ।

४०. मेरी सरकार पिछले एक वर्ष में ३६ प्रतिशत से ५२ प्रतिशत तक दोषसिद्धि दरों में सुधार लाने में सफल हुई है। अपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधिक और समाजविरोधी तत्वों की उच्चतर दोषसिद्धि दर कम होगी।

४१. नक्षलविरोधी मुहिम को अधिक प्रभावी बनाकर उसे अतिरिक्त सहायता देकर प्रभावित क्षेत्र में, सुप्रशासन बनाने के लिए संपूर्ण सुधार करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है ।

४२. पुलिस कार्मिकों के आवास में वृद्धि करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास एवं कल्याण निगम, लोकनिर्माण कार्य विभाग, **म्हाडा** एवं **हुडको** यह संयुक्त रूप से कार्य कर रही है । इस वर्ष के दौरान, लगभग ११,५०० निवासस्थानों का अधिग्रहण और संनिर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है और अगले वर्ष में लगभग २६,००० निवासस्थान मुहैया किये जायेंगे ।

४३. सागरी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए १,४०,००० से भी अधिक मछुवारों को बायोमेट्रीक कार्ड दिये गये है और अप्रैल २०१६ के अन्त तक शेष मछुवारों को भी बायोमेट्री कार्ड दे दिया जायेगा । सभी ९१ जहाजपोत स्थानों पर सुरक्षा रक्षक तैनात किए गए है ।

४४. हमारे अनुरोध पर केंद्र सरकार, सभी सागरी तटों पर के जिलों में मत्सउद्योग मॉनीटरींग नियंत्रण और निगरानी केंद्र स्थापित कर रही है । यह केंद्र मछुवारों की पहचान के लिए एकसमान प्लॅटफार्म प्रदान कर रही है और सागरी तटीय पुलिस, नौसेना एवं तट रक्षक दल के बीच समन्वय की सुनिश्चिति कर रही है ।

४५. मेरी सरकार ने, उच्च न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासन में गतिमानता लाने की दृष्टि से, ४५ न्यायालय प्रबंधकों के पदों के विस्तार की स्थायी रूप से मंजूरी दी है, इसके द्वारा देश में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है । सरकार ने, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के १९ नये पद सृजित किये हैं और प्रलंबित दावों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए आवश्यक ऐसी मूलभूत सुविधा एवं कर्मचारीवृन्द के लिए निधियाँ मंजूर की है ।

४६. औद्योगिकरण में महाराष्ट्र का अग्रस्थान बनाए रखने की दृष्टि से '' मेक इन इंडिया '' के तहत्, राज्य ने '' मेक इन महाराष्ट्र '' मुहिम को शुरू किया है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न उद्योग अनुकूल नीतियाँ बनाई गई है । यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि महाराष्ट्र में नये उद्योगों को आकर्षित करने और विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं के अपेक्षित अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिये सुसूत्रता एवं सुलभता लाई गई है । **मैत्री** यह एकल खिडकी प्लॅटफार्म प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सेवा अधिकार अधिनियम के अधीन, संविधिक अधिकारों का उपयोग करने के पश्चात्, १५ विभागों के ऑनलाईन आवेदन और ४४ अनुमतियाँ प्राप्त करना सुलभ होगा ।

४७. वास्तविक औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषिभूमि की क्रय प्रक्रिया में सहजता लाने के लिए राज्य अभिधृति कानून में संशोधन किया गया है । राज्य और केंद्र सरकार की सम्यक् अनुमोदित परियोजनाओं को जिला कलक्टरों द्वारा भूमि मंजूर की जायेगी ।

४८. मेरी सरकार ने, विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियाँ भी अनुमोदित की है । विदर्भ एवं मराठवाडा में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मूल्यवर्धित कर पर आधारित पूर्ण छूट देने की नीति स्वीकृत की है । राज्य में फॅब परियोजना को बढावा देने के लिए नयी ईलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई गई है । महाराष्ट्र देश में नयी रिटेल व्यापार नीति बनानेवाला अग्रणी राज्य है । ई-कॉमर्स की वृद्धि को ध्यान में लेकर लॉजिस्टीक हब्ज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कर रियायत देना प्रस्तावित किया गया है । महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में आर्थिक लाभ उठाने के लिए " महाराष्ट्र तटीय उद्योग नीति " बनाई गई है ।

४९. भारत सरकार द्वारा हाल ही में मुंबई में आयोजित " मेक इन इंडिया " सप्ताह का मेजबान पद महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है । सरलीकृत अनुज्ञप्ति का वातावरण, प्रगत नई औद्योगिक नीतियाँ और राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में के बलशक्तियों को राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय उद्योजकों के सामने रखा गया है ।

परिणामतः, विदेशी निवेश के अलावा कुल ८ लाख करोड़ रुपयों से अधिक विदेशी निवेश महाराष्ट्र में आकर्षित हुआ है, जिसके द्वारा ३० लाख संभाव्य रोजगार सुजित होंगे । इस सप्ताह को पूरे सहदयता से समर्थन देने के कारण मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

५०. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडार परियोजना के अधीन ४,००० हेक्टर इतने परिक्षेत्र पर औरंगाबाद औद्योगिक नगरी मर्यादित ने अपने विकास कार्यों को पहले से ही शुरू किया गया है ।

५१. नई वस्त्रोद्योग नीति के अधीन बँकों ने अब तक १,१२७ वस्त्रोद्योग परियोजनाएँ मंजूर की है, जिसमें से लगभग ११,००० करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है और लगभग ६४,००० नौकरियाँ सृजित की गई हैं ।

५२. मेरी सरकार, राज्य में मुलभूत सुख सुविधाएँ दर्जेदार बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है । विभिन्न सड़कों, रेल, हवाईपत्तन, समुद्रीय पत्तन, ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाएँ हाथ में ली गई है ।

५३. राज्य ने सड़क विकास कार्यक्रम २००१-२१ के अधीन लगभग ३,३७,००० किलो मीटर के लक्ष्य में से, २,६३,००० किलोमीटर से अधिक सडके पूरी की हैं । हमें ६,८०० किलोमीटर राज्य महामार्ग का राष्ट्रीय महामार्ग में परिवर्तन करने में सफलता मिली है ।

५४. महाराष्ट्र के पश्चिम तट के साथ प्रस्तावित तटीय राजमार्ग से उद्योगों, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उससे संरक्षण की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी ।

५५. मेरी सरकार, सन् २०१६-१७ में ५ राजस्व प्रभागों को जोड़नेवाले नागपुर-मुंबई अतिजलद यातायात द्रुतगती महामार्ग के संनिर्माण का कार्य हाथ में लेगी, जो देश का सबसे बडा हरितक्षेत्र द्रुतगति महामार्ग होगा ।

५६. १५० किलोमीटर का प्रस्तावित पूणे रिंग रोड़ का संनिर्माण भी जल्द ही शुरू किया जायेगा । थाना खाड़ी पूल के संनिर्माण का भी प्रारंभ किया जायेगा । खोपोली पथकर नाका और कुसगाँव के बीच ८.२ किलोमीटर का टनेल तथा ४ किलोमीटर के पूल का संनिर्माण करना भी प्रस्तावित किया गया है ।

५७. थाना-घोडबंदर सड़क, विदर्भ में २७ रेल्वे के उपरी पूल, वाकण-पाली-खोपोली सड़क का चौपदरीकरण, थाना से बोरीवली भुयारी सड़क तथा कोन से कल्याण-डोंबिवली-शिलफाटा उन्नत सड़क का संनिर्माण करने के लिए (महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम) कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नियुक्ति की गई है ।

५८. "तेजगति सिंचाई लाभ कार्यक्रम" के तहत् प्रधानमंत्रि कृषि सिंचाई योजना में महाराष्ट्र की सात चालू परियोजनाएँ अब शामिल की गई है । वह वाघोर, लोअर पांजरा, लोअर वर्धा, लोअर दुधना, तिल्लारी, नांदूर-माधमेश्वर चरण-दो और बावनथडी इस प्रकार है ।

५९. सरकार ने विभिन्न योजनाओं से समाभिरूपता में "नदी नाला नवीकरण कार्यक्रम" का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है । अब तक ६३ नदी-नाला नवीकरण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ।

६०. सन् २०१६-१७ में कोराडी थर्मल पॉवर सेशन से १९८० मेगावॅट अतिरिक्त विद्युत उर्जा तथा चंद्रपूर थर्मल पॉवर सेशन से १००० मेगावॅट विद्युत ऊर्जा जनित होगी । परिणामस्वरूप, राज्य अतिरिक्त उर्जा में संतुलित हो जायेगा ।

६१. २८ करोड़ रुपयों के व्यय द्वारा विश्वविख्यात एलेफंटा गुफा द्वीप समूह को जल्द ही निरंतर बिजली मुहैया की जायेगी जिसमें, ऊर्जा मूलभूत सुविधा में २८ करोड़ रुपये का निवेश होगा ।

६२. अगले चार वर्ष के भीतर ऊर्जा की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में लगभग २२०० करोड़ रुपयों की " दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना " तथा नागरी क्षेत्रों के लिये लगभग २,३०० करोड़ रुपयें की आंबटन से " एकीकृत ऊर्जा विकास योजना " कार्यन्वित की जायेगी ।

६३. सन् २०१९ तक, १४,४०० मेगावॅट क्षमता की नई और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा घरेलू उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के ऑफ-ग्रीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान नई नितियाँ घोषित की गई है ।

६४. रेल मंत्रालय के एक संयुक्त उदयम के रूप में “ महाराष्ट्र रेल मूलभूत सुविधा विकास कंपनी ” स्थापित की जायेगी जो राज्य में की रेल परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करेगी । सरकार ने, जयगड पत्तन तथा दिघी पत्तन से रेल पत्तन जोडने की परियोजना के लिए, समभागों द्वारा साँझेदार होने का भी निर्णय लिया है और वाढवण में जेएनपीटी के सॅटेलाईट पत्तन परियोजना में २६ प्रतिशत शेयर खरीदने का भी निर्णय लिया है ।

६५. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय हवाईपत्तन के अर्हता फेरा के लिए वैश्विक निविदाओं को अच्छा प्रतिसाद मिला है । यह लक्ष्य है कि, सन् २०१९ में इस नवीन हवाईपत्तन से पहला उडान होगा । शिर्डी हवाईपत्तन का कार्य जल्दी पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तिय सहायता देने का प्रस्तावित है ।

६६. १५-४५ आयुसमुह के व्यक्तियों को कुशलता विकास प्रशिक्षण मुहैया करने के लिए, ‘ प्रमोद महाजन कुशलता एवं उद्योजकता विकास अभियान ’ शुरू किया गया है । उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षण के पश्चात्, रोजगार देने के लिए अब तक लगभग ५०० प्रशिक्षण साझेदारों का चयन किया गया है ।

६७. शिक्षुता अधिनियम, १९६१ के “ व्यापार शिक्षुता योजना के अधीन ” ६७,००० से भी अधिक उम्मिदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

६८. शीघ्रता से होनेवाले नागरीकरण की बढती चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने, केंद्र सरकार की सहायता से विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिए है ।

६९. राज्य के शहरी क्षेत्रो में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए मुंबई मेट्रो रेल लाईन-३ के कार्य और नागपूर तथा पूना मेट्रो परियोजना कार्य भी जल्द ही शुरू होगा और नई मुंबई में ११ कि.मी. दूरी की बेलापूर-पेंढार मेट्रो परियोजना जुलाई, २०१७ तक पूरी होगी ।

७०. अगले ३-४ वर्षो में ११८ कि.मी. दूरी की मेट्रो रेल परियोजना का नियोजन किया गया है और १२,००० करोड़ अनुमानित लागत से १८.५ कि.मी. के दहिसर से दादाभाई नौरोजी नगर मार्ग तथा १६.५ कि.मी. दूरी के दहिसर (पूर्व) से अंधेरी (पूर्व) मार्ग का कार्य अनुमोदित किया गया है ।

७१. सरकार ने शैक्षिक चिकित्सा, मनोरंजनात्मक, संभारतंत्र, वाणिज्यिक, विज्ञान, उद्योग आदि पर ध्यान दिया है और ३० नगरों से मिलकर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय हवाईपत्तन के चारों ओर का ६०० वर्ग कि मीटर क्षेत्र, जो सरकार ने " **नयना** " इस स्मार्ट सीटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी **सिडको** पर सौंपी है ।

७२. लगभग ७,७०० हेक्टर के कुल क्षेत्र से ७ नगरों के सम्मिलित दक्षिण नवी मुंबई का **ब्राऊनफिल्ड स्मार्ट सिटी के** रूप में विकास करने के लिए **सिडको**, ३५,००० करोड़ रुपयों का निवेश कर रही है जिसमें, किफायती आवास, मेट्रो कॉरिडॉर, आर्थिक और मूलभूत विकास परियोजना के साथ पत्तन शहर विकास पर विशेष रूप से ध्यान देगी, जो अगले ४ वर्ष में पूरी होगी ।

७३. पुना नगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अभिभावक मंत्री की अध्यक्षता में पुना तथा पिंपरी-चिंडवड के शीघ्र और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए सन् २०१५ में ६,६१६ वर्ग कि.मी. का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है ।

७४. केंद्र सरकार द्वारा राज्य में स्मार्ट सिटी मुहिम के प्रथम चरण में पूना और सोलापूर का चयन किया गया है और सरकार की ओर से ८ से अधिक स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्तावित है ।

७५. नागरी क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं जैसे-जल आपूर्ति, मल-जल व्यवस्था तथा परिवहन को मुहैय्या करने के लिये, भारत सरकार ने " अटल नवीकरण तथा नागरी परिवर्तन (अमृत) अभियान " शूरू किया है, जो राज्य के ४३ नगर और राज्य की नागरी जनसंख्या के ७६ प्रतिशत को सम्मिलित करता है ।

७६. मेरी सरकार ने, ४२,००० से अधिक आवेदकों को लाभ पहुँचाने के लिए लॉटरी प्रणाली के ज़रिए मुंबई महानगरीय क्षेत्र, नाशिक, पूना, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, औरंगाबाद और नागपूर शहर में अवसित अनुज्ञपत्रों के बदले में नवीन ऑटो रिक्षा अनुज्ञा-पत्र देने का निर्णय लिया है ।

७७. ग्रामीण सड़कों का दर्जा सुधारने के क्रम में और **वाडीयों** तथा **आवासों** का जोड़ने के उद्देश्य से, इस योजना के अधीन, ७३० कि.मी. का सम्पर्क रखते हुए १३,००० करोड़ रुपयों के प्रत्याशित खर्च के साथ " मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना " शुरू की गई है ।

७८. १४ वें वित्त आयोग के तहत् ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों के उचित उपयोग की सुनिश्चिति के लिए “ आमचे गाव आमचा विकास ” कार्यक्रम पर विचार कर रही है ।

७९. आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन के अधीन, कोल्हापूर नगर निगम और ५१ नगर परिषदें “ हागणदारी मुक्त ” होंगी । आगामी वर्षों में, सरकार शेष नगर निकायों में चल रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

८०. सन् २०१५-१६ में, ४,४०,००० से अधिक शौचालय इकाइयाँ ४२१ करोड़ रुपयों से अधिक प्रोत्साहन व्यय से निर्माण की गई है । अब तक ५,२७६ से अधिक ग्राम “ हागणदारी मुक्त ” घोषित किए गए हैं ।

८१. केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्वच्छ शहरों की रैंकींग सूची में पिंपरी-चिंचवड और मुंबई भी शीर्ष दस क्रमांक पर सम्मिलित है, जो मामला अति समाधान का है ।

८२. महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र लोकसेवाओं का अधिकार अधिनियम, २०१५ के अधीन ३१५ नागरिक सेवाएँ अधिसूचित की गई है जिसमें से १५६ सेवाएँ नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध की है और शेष अधिसूचित सेवाएँ २ अक्तूबर २०१६ से ऑनलाइन की जाएँगी ।

८३. सरकार और नागरिकों के बीच ऑनलाइन संवाद को समन्वित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से उपयोग करते हुए ई-सूचना, शिकायत प्रतितोष, ई-सेवाएँ और ई-सहयोग प्लेटफार्म की संगणकीकृत प्रणाली के ज़रिए “ आपले सरकार ” ऑनलाईन पोर्टल शुरू किया गया है । अब तक, ९ लाख से अधिक ऑनलाईन आवेदनों को विहित समय के भीतर निपटाया गया है ।

८४. सरकार, लोक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और छात्रवृत्तियाँ तथा पेंशन योजनाओं से शुरू होनेवाले जाम त्रिनीति के रुप में प्रसिद्ध ज्ञात “ जन-धन-**आधार**-मोबाईल नंबर ” के एकीकरण के और आशयित लाभों के बेहतर लक्ष्य के लिये पेंशन योजना पर ध्यान केंद्रीत कर रही है ।

८५. लोक वितरण प्रणाली में पारदर्शकता बनाए रखने के लिए, कम्प्यूटरीकरण किया गया है । अब तक, ७ करोड़ रेशन कार्डों में से ४ करोड़ से अधिक आधार का पंजीकरण पूरा हुआ है और शेष कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है ।

८६. " २०२२ तक सभी के लिए आवास " इस मिशन के अधीन, मेरी सरकार केंद्र प्रायोजित " प्रधानमंत्री आवास योजना " बड़ी संख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है ।

८७. धारावी पुनर्विकास परियोजना के सेक्टर १ से ४ की वैश्विक निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है । म्हाडा द्वारा सेक्टर ५ का विकास किया जा रहा है ।

८८. सरकार बॉम्बे विकास विभाग (बीडीडी) चालों का पुनर्विकास करना चाहती है ।

८९. मेरी सरकार, अनुसूचित जाति के लिए रमाई योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए शबरी योजना जैसे कई ग्रामीण आवास योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है । गरीबी रेखा के निचले लाभग्राहियों के लिए " पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना " भूखंड ख़रीद के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है ।

९०. जून २०१५ में घोषित " प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम " के अधीन, अब तक ५५० विद्यालय प्रगत बन गए हैं ।

९१. बाहरी एजेंसी मूल्यांकन से प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित में १० प्रतिशत का सुधार दिखाई दिया है ।

९२. जनता की भागीदारी के ज़रिए ९,८२६ विद्यालय डिजिटल बन गए हैं और ७७८ विद्यालय आय एस ओः ९००० प्रमाणित होंगे ।

९३. सरकार द्वारा विकसित " **सरल** " कम्प्यूटर प्रणाली ने सूचना के १५० प्रकार के माँग की शर्त निकाली है । इसके अलावा, यह प्रणाली, छात्रों की गणना के वास्तविक निर्धारण और उनकी अकादमिक प्रगति के लिये समर्थ है ।

९४. पूना और नागपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और निजी भागीदारों के बीच सहमति-पत्र दिसंबर, २०१५ में हस्ताक्षरित हुआ है । उनका प्रथम अकादमिक वर्ष २०१६-१७ से प्रारंभ होने की संभावना है ।

९५. नागपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान का प्रथम अकादमिक वर्ष २०१५-१६ में पहले से ही शुरू हुआ है ।

९६. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय विधेयक, २०१५ पहले ही से आपके समक्ष रखा गया है । मैं आपसे इस पर विचार-विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूँ ।

९७. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई का अकादमिक वर्ष २०१५-१६ में प्रारंभ हुआ है । इसके अलावा, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर और औरंगाबाद भी पहले से ही अधिसूचित हुए हैं ।

९८. सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआयआयएमएस) की स्थापना के लिए नागपुर में मिहान में १५० एकड़ भूमि को आंबटित किया है ।

९९. चंद्रपूर में एक नया सरकारी महाविद्यालय १०० एमबीबीएस सीटों से पूर्णतया क्रियाशील है और गोंदिया में एक और चिकित्सा महाविद्यालय १०० एमबीबीएस सीटों से तथा वाशिम में एक दन्त चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रस्तावित है ।

१००. " महाराष्ट्र योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा विधेयक २०१६ " जो सरकार के विचाराधीन है । यह विधेयक इन प्राचीन विज्ञान के अध्यापन तथा अभ्यास को बढ़ावा देने और नियमन करने में मददगार होगा ।

१०१. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि फरवरी २०१६ में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल नागपुर में प्रथम गुर्दा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया को सरकारी संगठन में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था ।

१०२. औषधीय कारोबार में सरलता लाने के उद्देश्य से औषधियों की बिक्री करने के लिए आधार से जुड़े प्रमाणीकरण के ऐसे लाईसेंस अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली के ज़रिए जारी करनेवाला महाराष्ट्र यह भारत में एकमात्र राज्य है ।

१०३. सरकार ने, " सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक " लाने का प्रस्ताव किया है और " महाराष्ट्र नैदानिक स्थापना विधेयक " सामान्य लोगों को निजी अस्पतालों से पर्याप्त दरों पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए समर्थ है ।

१०४. मेरी सरकार ने, जनजाति उप-योजना क्षेत्रों की अंगनवाडियों में बच्चों के लिए अंडे और केला जैसे पोषक सकस खाद्य देना शुरू किया है ।

१०५. सामूहिक सामाजिक दायित्व के अधीन, टेलि-मेडिसिन के ज़रिए मेलघाट, धडगांव, सुरगणा और मोखाडा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पुराने रोगों से त्रस्त मरीजों के लिए जल्द ही " शिव आरोग्य योजना " शुरू की जाएगी । नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा विशेषताओं की उपलब्धता की कमी को दूर करने लिए शुरू किया गया है ।

१०६. सरकार ने, सार्वजनिक-निजी-भागीदारीता की सहभागिता से जिला अस्पतालों में हृदय केंद्रों को शुरू करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है ।

१०७. लिंग निर्धारण को रोकने और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने तथा कन्या शिशु के संरक्षण करने के उद्देश्य से " माझी कन्या भाग्यश्री " योजना १ अप्रैल, २०१६ से कार्यान्वित की जाएगी ।

१०८. महिलाओं को मोटर चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी आय उपार्जन अवसरों में सुधार हो सकें ।

१०९. सरकार ने, सरोगसी पद्धति से शिशु हुआ है ऐसे महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए १८० दिनों तक की विशेष छूट्टी मंजूर करने का निर्णय लिया है ।

११०. एयर इंडिया में केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए डा. बाबासाहब अम्बेडकर अनुसंधान संस्था पूना, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है ।

१११. संघ लोक सेवा आयोग (सिविल) की सेवाओं की परीक्षा के कोचिंग के लिए महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

११२. जनजाति क्षेत्रों में कम वजन के शिशुओं के लिए, एनीमिया और कुपोषण को कम करने के लिए सरकार ने १५ दिसंबर, २०१५ से " डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना " शुरू की है । इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करानेवाली माताओं को प्रतिदिन सकस भोजन देकर उनके पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है ।

११३. सरकारी आश्रम विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पौष्टिक, संतुलित तथा ताजा नाश्ता और भोजन देने के उद्देश्य से, सरकार ने टाटा ट्रस्ट और अक्षय पात्रा फाऊंडेशन के सहयोग से मुंडेगाव, जिला नासिक तथा कंबलगाव जिल्हा पालघर के दो आश्रम विद्यालयों में अन्नपूर्णा केंद्रीकृत रसोईघर योजना शुरू की है ।

११४. सरकार ने नवीकरणीय अंग्रेजी माध्यम निवासी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या में २,५०० से २५,००० तक पर्याप्त वृद्धि की है ।

११५. राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों (पेसा) के ग्राम पंचायतों को जनजाति उप योजना के अधीन अब से ५ प्रतिशत निधि सीधे देने का निर्णय लिया गया है । सन् २०१५-१६ के दौरान २५८ करोड़ रुपयों का निधि २९०० ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विकास कार्य करने के लिए दिया जायेगा ।

११६. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्राम समुदायों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) (पेसा) अधिनियम, १९९६ के अधीन आवृत्त अनुसूचित क्षेत्रों में तेंदू और बांबू जैसे नैसर्गिक स्रोतों का व्यवस्थापन तथा विक्रय करने के लिए समर्थ बनाने पर उनको अब बेहतर आय प्राप्त हो रही है ।

११७. गन्ना श्रमिकों के कामकाज की स्थिति में सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र माथाडी, हमाल और अन्य हस्तकला श्रमिकों (सेवा तथा कल्याण का विनियमन) अधिनियम, १९६९ के अधीन " लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र गन्ना कटाई और परिवहन तथा अन्य हस्तकला श्रमिकों का निगम " गठित किया गया है ।

११८. सरकार, अल्पसंख्यकों के सम्पूर्ण विकास के लिये वचनबद्ध है और इस प्रयोजन के लिये, विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है । सन् २०१५-२०१६ के

दौरान लडकियों के लिये ९ छात्रालय शुरू किये गये हैं । साथ ही जून, २०१६ से अल्पसंख्यक लडकियों के लिये सेलू, पाथरी, जिंतूर, भंडारा, अमरावती और नांदेड में छात्रालय शुरू किये जायेंगे ।

११९. बाघों की संख्या २०१० में १६९ से बढ़कर अब १९० हुई हैं । पेंच तथा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र आरक्षित की तर्ज पर मेलघाट तथा नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र आरक्षित के लिये विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एसटीपीएफ) सृजित किया गया है । जंगली जानवरों के कारण फसल नुकसानी के लिये वित्तिय सहायता, संत्रा और मोसंबी बागान के लिये विशेष उपबंध से दुगनी कर दी गई है । ताड़ोबा, गोरेवाडा तथा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को विश्वस्तरिय पर्यटन स्थलों में बदला जायेगा । व्याघ्र आरक्षित के लिये सुरक्षित क्षेत्र में स्थित ग्रामों के एकात्मिक विकास के लिये "डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन विकास योजना" शुरू की गई है, ताकि ग्रामवासीयों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकें।

१२०. एमटीडीसी के रिसॉर्ट में वरिष्ठ नागरिक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्तियों तथा विद्यालय छात्र समूहों को २० प्रतिशत की छूट दी गई है ।

१२१. जनवरी २०१६ से एमटीडीसी तथा पवन हंस हवाई सेवा ने संयुक्त रूप में 'हेली जॉय राइड सेवा' शुरू की है ।

१२२. सरकार, मराठी भाषा का परिरक्षण, विकास तथा उसे बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है । मेरी सरकार, प्रत्येक वर्ष " मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा " मना रही है तथा इसे लोगों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिल रहा है । नागरिकों को मराठी भाषा में विधि की जानकारी मिलने तथा मराठी भाषा में के कानून मुफ्त में उपलब्ध हो जाने के लिए मराठी में अनुवादित ५८६ राज्य अधिनियम, भारतीय संविधान का द्विभाषी संस्करण और १६६ केंद्रिय अधिनियमों का मराठी में प्राधिकृत रुपांतरण भाषा संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध किया जा रहा है ।

१२३. इचलकरंजी की दत्ताजीराव कदम तकनीकी शिक्षा संस्था की सहायता से राज्य मराठी विकास संस्था 'वस्त्र निर्मिती माहिती कोश' तैयार कर रही है, जिसमें भारत के वस्त्र उद्योग तथा वस्त्र कला के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का शामिल किया गया है ।

१२४. देश तथा विदेश दोनों पर्यटकों को अपनी संस्कृति, पारंपारिक कला, और शिल्पकला, भोजन कला, इतिहास तथा पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए तथा हमारे कारीगरों को नये बाजार का सृजन करने के लिए **' महा-जत्रा '** महाराष्ट्र उत्सव को आयोजित किया गया था । नई दिल्ली में " दिल्ली हाट " इस प्रतिष्ठित जगह पर इसे आयोजित किया गया था और उसे अद्भूतपूर्व प्रतिसाद मिलकर लगभग १.५ लाख पर्यटकों ने भेंट दी थी ।

१२५. आदरणीय सदस्य, इस सत्र में अनुपुरक माँगों, सन् २०१६-१७ के लिए बजट अनुमान, लेखानुदान, विभिन्न विधेयकों और अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कारोबार आपके समक्ष आपके विचारार्थ रखे जायेंगे ।

इस सत्र में आपके प्रत्येक विचार-विमर्श को मैं सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ ।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई